



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 427 राँची, मंगलवार, 30 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 जुलाई, 2022

1) संख्या-3/प्र०-02-03/2019 का. 4762--श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-626/03, गृह जिला राँची), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, रामगढ़ को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री सिन्हा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2) संख्या-3/प्र०-02-03/2019 का. 4763--श्री अनिल कुमार सिंह झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-628/03, गृह जिला सिवान), अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास (बोकारो) को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री सिंह को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

3) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4764--श्री हरि कुमार केशरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-634/03, गृह जिला राँची), संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री केशरी को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

4) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4765--श्री जगबन्धु महथा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-635/03, गृह जिला धनबाद), संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, झारखण्ड, राँची) को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री महथा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

5) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4766--श्री बिन्देश्वरी ततमा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-637/03, गृह जिला सहरसा), परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, लातेहार को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री ततमा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

6) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4767--श्री दशरथ चन्द्र दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-647/03, गृह जिला देवघर), संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री दास को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

7) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4768--श्री हीरा लाल मंडल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-650/03, गृह जिला भागलपुर), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री मंडल को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

8) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4769--श्री लालचन्द डाडेल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-654/03, गृह जिला राँची), संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री डाडेल को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

9) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4770--श्री नेलसन एयोन बागे, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-656/03, गृह जिला राँची), अपर समाहर्ता, रामगढ़ को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री बागे को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

10) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4771--श्री राकेश रौशन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-698/03, गृह जिला राँची), अपर समाहर्ता, हजारीबाग को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री रौशन को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

11) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4772--श्री प्रदीप तिग्गा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-701/03, गृह जिला राँची), संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री तिग्गा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

12) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4773--श्रीमती पूनम प्रभापूति, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-704/03, गृह जिला सिंहभूम), संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती प्रभापूति को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

13) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4774--श्री मनोहर मराण्डी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-705/03, गृह जिला पाकुड़), संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री मराण्डी को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

14) संख्या-3/प्रो०-02-03/2019 का. 4775--श्री सुधीर बाड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-742/03, गृह जिला गुमला), परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची को अपर सचिव कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री बाड़ा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. श्री अनिल कुमार (कोटि क्रमांक-608/03) की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखे जाने के फलस्वरूप श्री नेलसन एयोन बागे, अ०ज०जा० (कोटि क्रमांक-656/03) को विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-2(iii) के आलोक में स्थानापन आधार पर अनारक्षित कोटि में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

श्री अनिल कुमार के आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो वैसी स्थिति में श्री नेलसन एयोन बागे का चयन अ०ज०जा० कोटि के पहले पदाधिकारी के रूप में किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप अ०ज०जा० कोटि में अनुशंसित अंतिम पदाधिकारी श्री सुधीर बाड़ा (कोटि क्रमांक- 742/03) को पदावनत किया जायेगा ।

III. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी ।

IV. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P.(S) No. 3795/2003 एवं W.P.(S) No. 3792/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।
